

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 142/2018 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक शाखा-सार्ब जयपुर,
तीसरी मंजिल, मैटिक्स मॉल,
सैक्टर-चार जवाहर नगर, जयपुर

---प्रार्थी

उनवान

बनाम 1.मै० खुशी ग्राइण्डिंग मिल्स प्रो० श्री
प्रकाशचन्द्र पिता घेवरचन्द नौलखा नि० प्लॉट
नं० एसपीएल 35, औद्योगिक क्षेत्र आसीन्द
त० आसीन्द
2.मै० खुशी ग्राइण्डिंग मिल्स प्रो० श्री
प्रकाशचन्द्र पिता घेवरचन्द नौलखा नि० ग्राम
दौलतगढ, आसीन्द त० आसीन्द

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित:- श्री हनुवन्त सिंह -अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 14/08/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा- सार्ब जयपुर तीसरी मंजिल, मैटिक्स मॉल, सैक्टर-चार, जवाहर नगर, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थी संख्या 01 मै० खुशी ग्राइण्डिंग मिल्स आसीन्द प्रो० श्री प्रकाशचन्द्र पिता घेवरचन्द नौलखा, मैन बाजार दौलतगढ त० आसीन्द को जिला कलक्टर उद्योग भीलवाड़ा ने अपने आदेश क्रमांक एफ.4()इन्फ्रा/2008/7962-67 दिनांक 06.11.2008 के द्वारा अविकसित औद्योगिक क्षेत्र आसीन्द में भूखण्ड संख्या एसपीएल-35 क्षेत्रफल 4584.50 वर्गमीटर का औद्योगिक भूखण्ड आवंटन से स्वामित्व प्राप्त किया जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं को रहन रखा गया। उक्त औद्योगिक लैण्ड एण्ड बिल्डिंग सम्पत्ति/भवन जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की होने से रहन रखा गया। अप्रार्थीगण के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्थोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्थूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा